APPROVAL LETTER

AKTU

के.के. चौधरी

कुलसचिव

उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय

लखनऊ

पत्रांक: उ.प्र.प्रा.वि.कुल.का./स.वि./2015/1200-4494

College Code - 225

दिनांक 15.05.2015

प्रेषक ने,

DIRECTOR,
ACCURATE INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, GAUTAM BUDDHA NAGAR

विषय- शैक्षिक सत्र 2015-16 में अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation)के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह इंगित करने की अपेक्षा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा प्रदत्त किये गये अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालयकाउपयोग पाठ्यक्रम की सम्बद्धता समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में शासनादेश के संख्या 1587/सोल-1-2015-13(5)/2015- दिनांक 16.06.2015 में निर्गत आदेशानुसार उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) में अधीन मा0 कुलपतिजी, के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता के साथ

S.No.	Branch Name	1st Shift	2nd Shift
1	CIVIL ENGG.	180	0
2	CIVIL ENGG.	0	60
3	COMPUTER SC. & ENGG.	180	0
4	COMPUTER SC. & ENGG.	0	60
5	INFORMATION TECHNOLOGY	60	0
6	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	60	0
7	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG.	120	0
8	MECHANICAL ENGG.	240	0
9	MECHANICAL ENGG.	0	60
10	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION	60	0
11	MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS	60	0

स्थगित पंक्ति पाठ्यक्रम की अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थायी सम्बद्धता की सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/उ.प्र.प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं, पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पदों-पाठ्यक्रमवार, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, शैक्षिक निरीक्षक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/त्रुटियों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थानप्रबन्धतंत्र का होगा।

2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अन्य गतिविधियों के साथ-साथ संस्था के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किया जे सम्पन्न किया जायेगा।

3. बी.फार्मे./एम.फार्मे./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं संबंधित काउंसिल का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित मानक पूर्ण न करने की दशा में एवं अकादमिक, पी.सी.आई., सी.ओ.ए. के द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्था को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थानप्रबन्धतंत्र का होगा।

4. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी तथा विभाग परिषद्/ से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा अंकित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी, अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कभी कभी अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा अनुमोदन आवेदन के समय जारी गयी शुल्क/शैक्षणिक तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की वृद्धि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था की प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

6. 2010 प्राविधिक विश्वविद्यालय के छात्र विनियम 2010 में यथा अध्याय-6 (अध्यादेश) में अभिलिखित प्रावधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

7.संस्था से एक माह के अन्दर संस्था में निदेशक/प्राचार्य एवं कार्यरत शिक्षकों की सूची तथा पात्र से संबंधित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को उपलब्ध की जायेगी।

8. संस्था के निदेशक का पद रिक्त होने के तीन माह(कार्यदिवस) के अन्दर अवश्य चयनित कर लिये जाएं, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य करायें। (अध्याय: 6.15)

9. संस्था में कार्यरत शिक्षक द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (अध्याय:6.13)

10. शैक्षिक एवं शिक्षणेतर स्टाफ के वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय: 6.25(ए))

11. भौत एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करायें। (अध्याय:6.13)

12. संस्था की समस्त सूचनायें संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करायें। (अध्याय:6.16)

13. संस्था द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

14. प्राविधिक शैक्षणिक शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

15. संस्था में पायी गयी कमियों का प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा औचक निरीक्षण कभी भी किया जा सकता है।

16. संस्था का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

17. जिन संस्थाओं की अकादमिक एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तत्समयवही के अधीन होगी।

18. संस्था द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार ही शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

19. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्था में नामांकित/अध्यनरत छात्रों से शुल्क वही लिये जायें जो समय-समय पर शुल्क नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित की गई हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को black List करने की कार्यवाही की जायेगी।

20. AMS (Academic Monitoring System) संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या: 3104/प्रा0वि0/कुलसचिव/2014/414-21, दिनांक 11.07.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराने की बाध्यता होगी।

21. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेतर कर्मचारियों को उपलब्ध ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। अधिकृत कार्यमुक्ति यदि संभव न हो तो संस्था द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय,

(के. के. चौधरी)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, महा कुलपति/कुलसचिव राजस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान।
2- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3- अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली।
4- निदेशक, संस्था [illegible]
5- गार्ड फाइल।

(के. के. चौधरी)
कुलसचिव

Website: **www.aktu.ac.in**
Email: **registrar@aktu.ac.in**
Contact: 0522-2336805
Address: Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Sec-11, JankipuramVistar, Lucknow, Uttar Pradesh India Pin Code-226031